'राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन' में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के का उद्घाटन भाषण

देश की आर्थिक एवं वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में आयोजित 'राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन' के शुभारंभ के अवसर पर यहां पधारे सभी सम्मानित प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत।

आज हम जिस महाराष्ट्र की धरती पर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, वह शौर्य, पराक्रम, संस्कृति, ज्ञान और स्वाभिमान की धरती है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज, बाल गंगाधर तिलक, संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर, गुरु नामदेव एवं सावित्रीबाई फुले की धरती है। इस धरती ने देश को हमेशा सामाजिक, आध्यात्मिक पुनर्जागरण एवं लोक कल्याण का संदेश दिया है।

देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के माननीय सदस्य यहाँ पर इस सम्मेलन में आए हैं और इस सम्मेलन में देश की विधायी संस्थाओं के समक्ष वर्तमान समस्याओं या चुनौतियों पर हम चर्चा संवाद करेंगे, मंथन करेंगे और अपने उत्कृष्ट कार्यों और बेस्ट प्रैक्टिस को साझा भी करेंगे। हम हमारी विधायिकाओं को किस प्रकार सशक्त और मजबूत बनाएं, इस पर चर्चा करेंगे।

भारत विश्व का सबसे प्राचीन, विशाल और सबसे जीवंत लोकतंत्र है। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में हजारों वर्षों से लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व रहा है।

वैदिक काल में संसद, सभा और समिति के उल्लेख से, दक्षिण भारत में भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंटपम एवं चोल साम्राज्य में ग्राम स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं के उल्लेख से प्राचीन भारतीय शासन में समतावादी दृष्टिकोण और आम जनता की भागीदारी के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। महाभारत में भी हमारे गणराज्यों की विशेषताओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। भारतीय लोकतंत्र की स्वीकार्यता पूरे विश्व में आज भी है। इसी लोकतान्त्रिक विरासत के कारण पूरे विश्व में "मदर ऑफ डेमोक्रेसी" के रूप में भारत की पहचान है।

लोकतंत्र हमारे आचार, विचार और व्यवहार में है। इसीलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो स्वाभाविक रूप से हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनी शासन पद्धति के रूप में अपनाया।

वर्तमान कालखंड यह हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है। आजादी के बाद के 75 वर्षों की लोकतान्त्रिक यात्रा में हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुआ है, देश ने विकास के नए आयाम हासिल किये हैं।

विधान मंडल लोकतंत्र के ऐसे मंदिर है जिनके माध्यम से हम जन कल्याण का कार्य करने का प्रयास करते हैं। सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था होने के कारण हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम देश के अन्य संस्थाओं और संगठनों के लिए आदर्श संस्था के रुप में कार्य करें। अनुशासन और शालीनता के उच्च मापदंड बनाए रखे। किसी विधान मंडल की विशिष्टता उसके सदस्यों की भूमिका और आचरण से जुड़ी होती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते

हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम विधान मंडलों के अंदर और बाहर शालीनता के अत्यधिक उच्च मानदंडों की पालना करें। विधायकों के अशोभनीय व्यवहार की घटनाओं से हमारी छवि खराब होती है।

हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम चर्चा और संवाद से समस्याओं का समाधान करें। लोकतंत्र हमारी महान विरासत है। हमारे पास पर्याप्त जनशक्ति है, पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है, इसीलिए जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

हमें जनता की तत्कालीन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझना होगा और उनको पूरा करने के लिए व्यापक प्रयास करना होगा।

हम हमारे नैतिक बल से समाज को बदल सकते हैं, व्यवस्था बदली जा सकती है। इसके लिए हमें एक स्वस्थ लोकतांत्रिक वातावरण की आवश्यकता है। लोकतंत्र हमारी नैतिक व्यवस्था है, इसलिए हमें अपनी कमियों का आत्म - विश्लेषण करना होगा और भविष्य की चुनौतियों का सही दिशा में समाधान ढूंढना होगा। हमें हमारे लोकतंत्र के मंदिरों यानी विधान मंडलों को गरिमापूर्ण बनाना होगा। लेकिन, हाल में जो विधान मंडलों में घटनाएं घट रही हैं, वे हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में लोकतंत्र को निरंतर सशक्त किया है, मजबूत किया है। राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हमने आपसी सहमति से हल किए। हमने कई कानून सर्वसम्मति से पारित किए। हम तो उस विरासत के लोकतंत्र है, जहां शास्त्रार्थ के आधार पर फैसले होते थे। लेकिन आज हम अपने सदनों को किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक है। संविधान निर्माण के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय संसदीय लोकतंत्र की शासन पद्धति को अपनाया था, तो उसके पीछे की मूल भावना यह थी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है।

हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से जनता का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक है कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, सभी संवैधानिक मर्यादा एवं अपने संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करें।

हमारे संविधान का आधार कार्यपालिका की सदन के प्रति जवाबदेही तथा सदनों की जनता के प्रति जवाबदेही है, इसे हमें पुनः स्थापित करना होगा। अगर ये सदन प्रभावी रूप से चर्चा संवाद करके समस्याओं का समाधान नहीं निकालेंगे, तो न्यायिक हस्तक्षेप होगा, जो देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि इन सदनों के माध्यम से हम नीतियां और कानून बनाकर जनता का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करें।

आज हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार हम हमारी विधायी संस्थाओं को सार्थक चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएं।

हम परस्पर चर्चा करें कि हमारी विधायी संस्थाओं में क्या नवाचार किए जाएं, नियम प्रक्रियाओं में क्या परिवर्तन लाए जाएं, समितियों में क्या नये परिवर्तन ला सकते हैं ताकि हम जनता की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को प्रभावी रूप से कार्यपालिका तक पहुँचा सकें और उनके उचित समाधान के लिए हम अपना इनपुट व मार्गदर्शन दे सकें।

यह सम्मेलन विधायी संस्थाओं के सदस्यों का सम्मेलन है। यह सम्मेलन इस विषय पर चिंतन, मनन और मंथन करने का है कि हम अपने लोकतंत्र को किस दिशा में ले जा रहे हैं। यह इस विषय पर चर्चा करने का मंच है। हममें विचारधारा के आधार पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सदनों को जिस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, हंगामे, नारेबाजी नियोजित तरीके से सदन स्थगित करना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति के लिए उचित नहीं है।

मैं मानता हूँ कि सभी विधान मंडलों को जनहित में कार्य करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वे प्रभावी ढंग से कार्य करें ताकि जनता में, सदनों और जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास पैदा हो सके। अनुशासनहीनता की घटनाओं को हम कम कर सकें। सदनों का सुव्यवस्थित रुप से संचालन हो, नीतियों और मुद्दों पर लंबी चर्चा और बहस हो, विधायकों में अनुशासन की भावना हो, हमारा आचरण गरिमामयी और शालीन हो, ताकि हम इन विधान मंडलों को प्रभावी बना सकें। हम यहाँ यह भी चर्चा करें कि हमारी विधायी संस्थाओं में क्या नवाचार किए जाएं, जिससे हमारे विधान मण्डल जीवंत बने रहें।

इस सम्मेलन में आप अपने अपने सदनों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करें। आप अपने दायित्वों को और प्रभावी रूप से पूर्ण करें। और हम विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए सामाजिक क्षेत्र के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो उत्कृष्ट कार्य किया है उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेज साझा करें ताकि अन्य जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिल सके।

दो दशकों से जनप्रतिनिधि के नाते मैं स्वयं महसूस करता हूं कि जनता की हमसे अपेक्षाएं बढ़ी हैं, मांग बढ़ी है, आवश्यकताएं बढ़ी हैं। हम किस तरीके से उनकी आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा मांगों को पूरा कर सकते हैं। हम उनके जीवन स्तर को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। और नीतियों और कार्यक्रमों का एग्जीक्यूशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह देखें। यह भी देखें कि हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पा रहे हैं या नहीं। यदि हम जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तो हमें कोई माफ करने वाला नहीं है।

चुनाव जीतना ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। चुनाव जीतने के बाद भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में हम किस तरीके से आम आदमी के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, किस प्रकार हम

सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी लाकर एक आदर्श मापदंड स्थापित करें और हमारे आचरण और कार्यों से लोगों में विश्वसनीयता और भरोसा पैदा करें।

आज हम जब अमृत काल में हैं और विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत का सामर्थ्य और सशक्त हुआ है। हमारी अपार युवा जनशक्ति हमारे पास है। दुनिया में हमारा भरोसा बढ़ रहा है। इस समय हमारी और अधिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सब जनप्रतिनिधि और अधिक जिम्मेदारी से तथा और अधिक सामूहिक दायित्व से एक विकसित भारत, समर्थ भारत, आत्मनिर्भर और एक आत्मविश्वासी भारत बनाएं।

मुझे आशा है कि यह दो दिवसीय सम्मेलन कई मुद्दों और कई विषयों पर चर्चा करेगा और यहां से हम नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य और नए चिंतन के साथ विकसित भारत - समर्थ भारत बनाने के अपने संकल्प को पूरा करेंगे।

आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।